

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) नाकरासरपीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनीमनोज कुमार उनवान
बनाम राजाघात साका जलित हमी लखन, चूरुदावा बाबत नाम डरवरीमुकदमा नम्बर :- 07/2021निर्णय दिनांक :- 12-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोका राज
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12-11-2021 को श्री राहुल सैनी
(नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के
लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वयं द्वारा राजाघात साका जलित हमी लखन के
विरुद्ध नाम डरवरी के खान पर मनोज कुमार
पुत्र द्वारा राजाघात साका जलित हमी लखन के खान पर राजाघात
साका जलित हमी लखन के खान पर राजाघात साका जलित हमी लखन
राजाघात साका जलित हमी लखन के खान पर राजाघात साका जलित हमी लखन
राजाघात साका जलित हमी लखन के खान पर राजाघात साका जलित हमी लखन

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर
दी गई।

श्री राहुल सैनी
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



1771
12/11/2021